संख्या-13 /2025/I/915400/2025/001-71-4099-828-2019

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

कुलसचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 24.03.2025

विषयः- उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत 300 बेडेड ऑब्स एण्ड गायनी ब्लॉक (100 बेडेड पीडियाट्रिक ब्लॉक को सम्मिलित करते हुये) की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-959/ई/यू0पी0यू0एम0एस0/अनु0(646) सिविल/2024-25, दिनांक-10.07.2024 के संदर्भ में शासनादेश संख्या-I/909125/2025/71-4099/828/2019, दिनांक-18.03.2025 का कृपया संदर्भ गहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 23217.73 (रूपये दो अरब बत्तीस करोड़ सत्रह लाख तिहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- अवगत कराना है कि चिकित्सालय परिसर में 300 बेडेड ऑब्स एण्ड गायनी ब्लॉक (100 बेडेड पीडियाट्रिक ब्लॉक को सम्मिलित करते हुये) की स्थापना का निर्णय लेते हुए शासनादेश संख्या-15/2016/4233/71-2-15-एस-17/2015, दिनांक 04 फरवरी, 2016 द्वारा उक्त परियोजना हेतु रू0 1,76,77,25,000/- (रूपये एक अरब छिहत्तर करोड़ सतहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तत्क्रम में विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अब तक रू0 76,27,43,350.00 (रूपये छिहत्तर करोड़ सत्ताइस लाख तैतालिस हजार तीन सौ पचास मात्र)की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है ।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा के अंतर्गत 300 बेबेड आब्स एण्ड गायनी ब्लाक (100 बेडेड पीडियाट्रिक ब्लाक को सम्मिलित करते हुए) के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष-2024-25 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या-31 से रू0 28,33,18,000/-(रुपये अट्ठाईस करोड़ तैंतीस लाख अठारह हजार मात्र) एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 27,74,15,000/-(रुपये सत्ताईस करोड़ चौहत्तर लाख पन्द्रह हजार मात्र) अर्थात कुल रू0 56,07,33,000/-(रुपये छप्पन करोड़ सात लाख तैंतीस हजार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-26.08.2014 (यथासंशोधित) तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक-04 मार्च, 2024 (यथासंशोधित) में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलसचिव/कार्यदायी संस्था की होगी।
4. आहरित धनराशि को डाक घर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
5. शासनादेश संख्या-15/2016/4233/71-215-एस-17/2015, दिनांक 04 फरवरी, 2016 की शर्तो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. शासनादेश संख्या-I/909125/2025/71-4099/828/2019, दिनांक-18.03.2025 की शर्तो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 28,33,18,000 (रुपये अट्ठाईस करोड़ तैंतीस लाख अठारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050500 रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई, इटावा मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 27,74,15,000 (रुपये सत्ताईस करोड़ चौहत्तर लाख पन्द्रह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037892900 रूरल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइस एण्ड रिसर्च, सैफई, इटावा मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, सैफई, इटावा।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
6. प्रबन्ध् निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0,लखनऊ।
7. ईकाई प्रभारी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, सैफई,इटावा।
8. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेन्ट, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।